न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/54/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/225

अपीलार्थी

श्री अजीत कुमार मीणा,
नि. ग्राम भगवतपुरा, पोस्ट–सेहर, तह. लक्ष्मणगढ
जिला–अलवर (राज.)–301413

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.05.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.06.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 09.03.22 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सामग्री निरीक्षक द्वारा राशन डीलर्स की ट्यूर डायरी अवधि दिनांकः 01.01.2021 से आवेदन दिनांक तक किए गए निरीक्षण संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 13.04.2022 के माध्यम से आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो नोडल अधिकारी, सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के पत्र सं. एफ. 102(3)(1)/खावि/आरटीआई/विविध/2022 जयपुर दिनांकः 06.05.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
6. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 09.03.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में **नियमानुसार** अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ नोडल अधिकारी, सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर को भी प्रेषित हो।
8. आज दिनांकः 14.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)